[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 1/2019-सेवा कर

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2019
15 फाल्गुन, 1940 शक

सा.का.नि. (अ)- केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली और 29 फरवरी, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), किसी ऐसी प्रथा के अनुसार, जो साधारणतया प्रचलित थी, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अधीन प्रशिक्षण प्रदाताओं (प्रशिक्षण कार्यान्वयन अभिकरणों) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं पर सेवा कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया था और यह सेवा उक्त अवधि में सेवा कर के लिए दायी थी, जो उक्त प्रथा के अनुसार संदत्त नहीं किया जा रहा था।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के प्रवृत्त होने से पहले की गई या लोप की गई बातों के संबंध में यह निदेश देती है कि उक्त अवधि में, उक्त प्रथा के कारण, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अधीन प्रशिक्षण प्रदाताओं (प्रशिक्षण कार्यान्वयन अभिकरणों) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ख के अधीन संदेय सेवा कर संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार
[फा0 सं0 137/14/2018-सेवा कर]